

फर्द अहकाम

(नियम 13)

GCMs
2020/00004
28.10.2020

राज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी
हलका निवलकोट

बनाम

श्री गोरेधनशम
पुत्र श्री मगाराम जाति. पार
निवासी पारकोटी गोरे की हान

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 04/वर्ष 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुक्म और तारीख तामिल की
10-7-2020	पटवारी हलका निवलकोट ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2077 में मौजा निवलकोट के खसरा नंबर 177 रकबा 3000 वर्ग फी. किस्म भूमि के मु. कोर पर नाजायज अतिक्रमण कर काशत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 29-7-2020 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
29-7-2020	पत्रावली भाण्ड पेश हुई। गैर सायल व पटवारी हलका उपस्थित। गैर सायल ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। गैर सायल को एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13-8-2020 को पेश हो।	गोरेधनशम प. निवलकोट

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

13-8-2020

पत्रावली भाण पेश हुई। गैर साधल
अनुपास्थित। पटवारी टक्का अनुपास्थित।
पत्रावली दिनांक 26-8-2020 के पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

26-8-2020

पत्रावली भाण पेश हुई। गैर साधल
अनुपास्थित। पटवारी टक्का उपस्थित।
गैर साधल के अतिरिक्त क्षेत्र
करते हुए पत्रावली फेसल सुगार है।
निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली है। निर्णय सुले न्यायालय
में सुनाया जाय। पत्रावली फेसल सुगार
होकर दायित्व दफ्तर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

प. निम्बलकोट